PDCL

Name of Officer

Designation :

Registration ID :-	CGRFT2R10000054
Application Date :-	6/24/2026 12:35:54 PM
BP Number :-	1001682928
Consumer Type :-	LT Consumer
Consumer Name :-	SRI UTTAM CHAND JAIN/SRI J.R. .
Mobile No :-	9098166525
Offcie Name :-	Rajnandgaon West zone
Arrears :-	-119.03
Apply to Forum :-	ECGRF RAIPUR
Grievance Type :-	Supply Related
Grievance Sub Type :-	Supply Related
Grievance Details:-	there is a high voltage suplly from the transformer
Bill :-	
Grievance File :-	CSPDCL_Bill_May-26_1001682928_2026062412343098662918.pdf
Reply Date :-	
Upload Letter :-	Choose File No file chosen
Remark :-	

Submit Close

Reply	CGRFT2						
Reply	CGRFT2						
Reply	CGRFT2						
Reply	CGRFT2						
Reply	CGRFT2						
Reply	CGRFT2						
Reply	CGRFT2						
Reply	CGRFT2						
Reply	CGRFT2R40000054	11/06/2026	1001411409	CHOUDHARI	Saraipali	Pending	1
Reply	CGRFT2R30000213	10/06/2026	1000148170	SHRI MANORANJAN LAL THAKUR	DDU Nagar	Pending	11

DCL
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी)
कार्यालय कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.), राजनांदगाव
फोन: 07744–225160, फैक्स :07744–225160, वेब साईट: www.cspdcl.co.in ई–मेल: eeonm.rajnandgaon@cseb.gov.in

1/शिका./फोरम/2778 राज0, दिनांक 28/07/26

प्रति,

अध्यक्ष
विद्युत शिकायत निवारण फोरम
राजनांदगांव

विषय :– सूचना पत्र अंतर्गत धारा 42(5) विद्युत अधिनियम 2003

संदर्भ :–
1. अध्यक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव का पत्र क्रमांक 13–01/वि.उ.शि.नि.फो.राजनांदगांव/58 दिनांक 06.07..2026
2. सहायक अभियंता शहर पश्चिम जोन का पत्र क्रमांक 370 दिनांक 02.07.2026
3. सहायक अभियंता शहर पश्चिम जोन का पत्र क्रमांक 527 दिनांक 23.07.2026

****

उपरोक्त विषयातर्गत लेख है कि आवेदक श्री उत्तम चंद जैन , लाल बाग गली नंबर 02, सिंधी कालोनी जिला–राजनांदगांव, बी.पी. क्रमांक 1001682928 के द्वारा ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज सप्लाई आने के संबंध की शिकायत फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

सहायक अभियंता राज. शहर पश्चिम द्वारा संलग्न संदर्भित पत्र क्रमांक 03 के माध्यम से निराकरण कर दिया गया है । जिसकी छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग
छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक /विउशिनिफोराज./2026/67 राजनांदगांव दिनांक 31/07/2026

01. श्री उत्तमचंद जैन,
ग्राम लालबाग गली नं. 02 सिन्धी कॉलोनी
राजनांदगांव जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

02. कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग,
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., राजनांदगांव।

विषय :– **प्रकरण क्रमांक/27/2026 पर पारित आदेश**

––00––

विषयांतर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव

प्रतिलिपि :

अधीक्षण अभियंता (वृत्त), छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष ए.के. गौराहा)

प्रकरण क्रमांक / 27 / 2026

संस्थित दिनांक 01 / 07 / 2026

श्री उत्तमचंद जैन, ...परिवादी
ग्राम लालबाग गली नं. 02 सिन्धी कॉलोनी
राजनांदगांव जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा) संभाग, ...उत्तरवादी
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., राजनांदगंव छ.ग.)

आदेश

(दिनांक 31 / 07 / 2026 को पारित)

परिवादी द्वारा ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज सप्लाई आने की शिकायत के संबंध में उत्तरवादी द्वारा सुधार नहीं किये जाने से क्षुब्ध होकर परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. परिवादी के परिसर में बी.पी.क्रमांक 1001682928, भार 4500 किलोवाट विद्युत कनेक्शन उत्तरवादी द्वारा प्रदान की गई है।

ख. परिवादी द्वारा उक्त कनेक्शन में बिलिंग अथवा बकाया राशि संबंधित कोई विवाद नहीं है।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी के परिसर में ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज सप्लाई होने के कारण परिवादी को समस्या हो रही थी।

4. प्रस्तुत शिकायत का उत्तरवादी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2356 दिनांक 09.07.2026 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि –

उपभोक्ता के परिसर में स्थित बी.पी.क्रमांक 1001682928, भार 4500 किलोवाट विद्युत कनेक्शन है, जिससे परिवादी को ट्रांसफार्मर से हाईवोल्टेज सप्लाई से समस्या हो रही थी। जिसमें उत्तरवादी द्वारा संबंधित ट्रांसफार्मर को जांच किया गया एवं परिवादी के खराब सर्विस केबल को बदल दिया गया है, जिससे परिवादी की समस्या का स्थायी निराकरण हो गया। जिससे उपभोक्ता द्वारा संतुष्टि जतायी गयी है।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं –

I. उत्तरवादी द्वारा परिवादी के परिसर में विद्युत कनेक्शन जिसका बी.पी. क्रमांक 1001682928 है, में ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज सप्लाई के कारण परिवादी को समस्या हो रही थी। क्या उसका सुधार किया गया।

II. परिवादी को जिस सर्विस वायर से विद्युत आपूर्ति कि जा रही थी। क्या उसका सुधार किया गया?

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कमांक (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

6. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है उन्हे अपने परिसर में ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज सप्लाई मिल रहा था। उत्तरवादी ने उक्त समस्या का निदान हेतु स्थापित ट्रांसफार्मर की जांचकर उसे दूरस्त कर दिया।

विचारणीय प्रश्न कमांक (ii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

7. उत्तरवादी द्वारा परिवादी उपभोक्ता श्री उत्तमचंद जैन/श्री जे.आर. जैन, लालबाग के परिसर में मीटर क्रमांक 409 L&T811581, मेक L&T क्षमता 10.60A तथा चेक रीडिंग 74260 KWH पाया गया उपभोक्ता द्वारा वोल्टेज समस्या हेतु शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। दिनांक 22.07.2026 को परिवादी के परिसर में वोल्टेज समस्या के निराकरण हेतु विभागीय कर्मचारी/अधिकारी गई एवं उनके द्वारा उक्त समस्या का निराकरण किया गया। परिवादी द्वारा कार्य से संतुष्ठ होने बताया गया है। जिसकी प्रति सहायक अभियंता पश्चिम शहर में अपने पत्र क्रमांक 527 दिनांक 23.07.2026 के माध्यम से कार्यपालन अभियन्ता (संचा0/संधा0) संभाग, छस्टेपाडिकंलि राजनांदगांव को संलग्न कर प्रेषित किया गया है। जो कि फोरम के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

8. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत प्रस्तुत परिवाद में निम्नानुसार आदेश प्रदान किया जाता है :–

I. मै यह पाता हूं कि उत्तरवादी द्वारा परिवादी कि समस्या के स्थायी निदान हेतु स्थापित ट्रांसफार्मर की जांचकर उसे दूरस्त कर दिया एवं परिवादी के खराब सर्विस केवल को भी बदल दिया गया है जिससे परिवादी की समस्या का स्थायी निराकरण हो गया है।

9. संपूर्ण विचारणीय प्रश्नों की विवेचना और उनके निष्कर्ष के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि परिवादी की शिकायत का निराकरण उत्तरवादी द्वारा कर दिया गया है। परिवादी की शिकायत का निराकरण कर दिए जाने के बाद इस प्रकरण में अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है ।

10. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

आदेश पारित किया गया

(ए.के. गौराहा)

अध्यक्ष